Constitution — Panipat

41

8262
2/5/19

Referred to General House (next)
for necessary action
01/05/19
Deputy Secty

As per Letter No. 698/2018

बार ऐसोसिएशन समालखा जिला पानीपत
संविधान

1 ऐसेसिएशन का नामः– बार ऐसोसिऐशन समालखा (Registration No 7152/2012)

2 एसोसिएशन का कार्यालयः– बार रुम समालखा (हाल एस० डी० एम० कोर्ट)

(सीफट होने के बाद बार रुम मिनि सैक्टरेट समालखा)

3 ऐसोसिएशन के कार्यः–

(क) समालखा बार के वकीलो के लिए हितो के लिए कार्य करना, समय पर इलेक्शन कराना, भविष्य मे मिनि सचिवालय मे बार व बैंच के सम्बन्ध मधूर रखना,

(ख) बार ऐसोसिएशन चैम्बर निर्माण के लिए अलग से रजिस्टर्ड सोसायटी बनाएगी व चैम्बर निर्माण का पूरा कार्य उसी सोसायटी और अलाटमैंट का कार्य भी उसी सोसायटी का होगा उसमे बार ऐसोसिएशन किसी भी प्रकार की कोई दखल–अन्दाजी नही करेगा।

4 अधिकारिताः– समालखा बार रुम, कोर्ट, व पूरे हरियाणा मे वकीलो के हित के लिए कार्य करना ।

Cashier
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat 17/4/13

President
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat 17/4/13

Secretary 17/4/13
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat

V. President
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat

5 **एसोसिएशन की प्रथम कार्यकारिणी की सूची**

प्रधान	श्री सतपाल छौक्कर ऐडवोकेट
उप–प्रधान	श्री सन्दीप पांचाल ऐडवोकेट
सचिव	श्री अनिल छौक्कर ऐडवोकेट
सह–सचिव	श्री प्रमोद भारद्वाज ऐडवोकेट
कोषाध्यक्ष	श्री राजकुमार रावल ऐडवोकेट
ओडिटर	श्री राजकिशन कौशीक ऐडवोकेट

6 नियम :–

1. एसोसिएशन अपने लक्ष्यो को पूरा इस सविधान के तहत करेगें ।
2. ऐसोसिएशन अपने लक्ष्यो की पूर्ती के लिए अपने प्रयासो द्वारा पैसा अर्जित करेगी और उस पैसो को बार की भलाई के लिए प्रयोग करेगी ।
3. एसोसिएशन अगर भगं होती है तो इसकी सम्पति मैम्बरस मे नही बाटी जाएगी ।

7 सदस्यता :–

1. ऐसोसिएशन की सदस्यता का शुल्क मु0–500/–रु0 होगी ।
2. ऐसोसिएशन जब चाहे 2/3 बहूमत से सदस्यता शूल्क बढा या घटा सकते है ।
3. ऐसोसिएशन का कोई भी सदस्य अगर दिवालिया व देशद्रोही या मानसिक रुप से अयोग्य हो तो उसकी सदस्यता रदद हो जाएगी ।

Cashier
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat 17/4/13

President
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat 17/4/13

Secy. 17/4/13
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat

V. President
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat

8 बैठक :–

1. बार ऐसोसिएशन समय समय जब भी जरुरत होगी अपने सामान्य निकाय की बैठके करती रहेगी और अपना वार्षिक लेखा जोखा इन बैठको मे पेश करते रहेगें।
2. बार ऐसोसिएशन अपनी कार्याकारी समिति की बैठक समय समय पर करती रहेगी।

9 ऐसोसिएशन की **शाशकीय** निकायः–

(1) प्रधान

(2) उप–प्रधान

(3) सचिव

(4) सह–सचिव

(5) खजांची

(6) आडिटर

10 शाशकीय निकाय का निर्वाचन

सभी पदाधिकारीयो का चयन निर्वाचन प्रर्किया के तहत होगा।

11 शाशकीय निकाय की बैठकः–

शाशकीय निकाय की बैठक जब कभी भी आपेक्षित होगी की जाएगी ।

President
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat 17/4/13

Secy 17/4/13
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat

V. President
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat

Cashier
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat 17/4/13

12 शाशकीय निकाय की शक्तियां

1. शाशकीय निकाय अपने उदेश्यो के लक्ष्यो व पूर्ती को प्राप्त करने के लिए हर सम्भव प्रयास करेगी ।
2. शाशकीय निकाय बार हित के लिए बार की कोई भी चल–अचल सम्पति को खरीद या बेच सकती है ।
3. शाशकीय निकाय अपनी फुल हाउस की मिटिगं कर सभी फैसले शक्तियां सभी निर्वाचित पदाधिकारीयो की सहमती से ले सकेगी।

13 शाशकीय निकाय के व्यक्तिगत पदाधिकारीयो की शक्तियांः–

1. प्रधान

(क) प्रधान समान्य निकाय की बैठक सभी पदाधिकारीयो की सहमति से बुला सकता है ।

(ख) प्रधान बार हित के लिए समय समय पर सामान्य निकाय की बैठके करेगा।

(ग) बार ऐसोसिएशन का बैक खाता खोलने के लिए प्रधान की अनुमित जरुरी है ।

(घ) बार ऐसोसिएशन के सभी खर्च बार प्रधान की अनुमित से पास होगे।

President
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat 17/4/13

Secy 17/4/13
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat

V. President
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat

Cashier
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat 17/4/13

2. उप–प्रधान

(क) प्रधान के कर्तव्यो मे उसकी सहयता करेगा।

(ख) प्रधान की अनुपस्थिति मे प्रधान की शक्तियो का प्रयोग बार हित के लिए करेगा।

3. सचिव :–

(क) बार ऐसोसिएशन का सचिव समय समय पर सभी पदाधिकारीयो की सहमति से सामान्य निकाय की बैठक निकाल सकता है ।

(ख) समान्य निकाय की बैठको मे प्रधान की सहायता करेगा ।

(ग) सभी बैठको की कार्यावाही का रिकार्ड रखेगा।

(घ) बार हित के लिए कार्य करेगा।

4. सह–सचिव

क सचिव के कार्यो मे उसकी सहायता करना

ख सचिव की अनुपस्थिति मे सचिव के कार्यो का निर्वहन करना ।

5. खजाचीं

(क) ऐसोसिएश्सन के सभी वितिय लेन देन का ब्यौरा रखना ।

(ख) ऐसोसिएशन का लेन देन खजाचीं की सहमति के द्वारा ही होगा ।

(ग) बैंक का लेन देन मे प्रधान के साथ खजाचीं जरुर होगा।

President
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat 17/4/13

Secy 17/4/13
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat

V. President
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat

Cashier
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat 17/4/13

6. शाशकीय निकाय की सदस्यता की समाप्तिः–

(क) अगर कोई पदाधिकारी अपना त्यागपत्र प्रस्तूत करता है तो और वो स्वीकार कर लिया जाता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी ।

7. सविधान मे संसोधन :–

ऐसोसिएशन के सविधान मे संसोधन सभी निर्वाचित पदाधिकारियो व कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से फुल हाउस की मिटिगं कर संसोधन किया जाएगा।

8. ऐसोसिएशन का विघटनः–

ऐसोसिएशन अगर अपने लक्ष्यो व बार हित मे कार्य नही करती है तो उसका विघटन फुल हाउस की मिटिगं मे 2/3 बहूमत से किया जा सकता है ।

Cashier
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat
12/4/13

President
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat
17/4/13

Secy.
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat
17/4/13

V. President
Bar Association Samalkha
Distt. Panipat